



2026:AHC:2541

ए.एफ.आर.

अनुच्छेद 227 के अंतर्गत वाद संख्या 15414 वर्ष 2025

कृष्ण बिहारी यादव

...याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

...प्रत्यर्थी

---

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: विजय कुमार मिश्रा

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता, ओम कृष्ण यादव

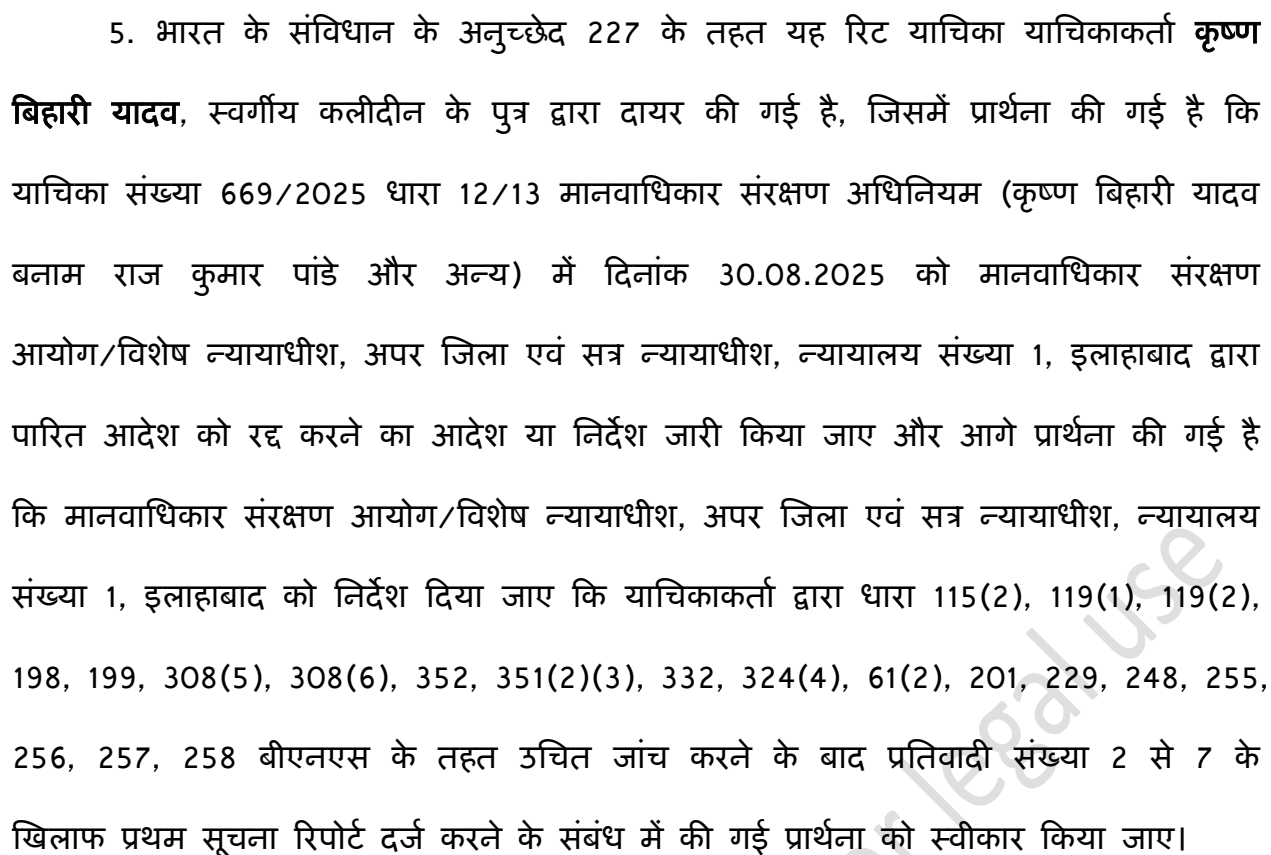
---

न्यायालय संख्या - 53

(माननीय न्यायमूर्ति समित गोपाल द्वारा प्रदत्त)

1. सूची संशोधित।
2. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री विजय कुमार मिश्रा, प्रत्यर्थी संख्या 8 के विद्वान अधिवक्ता श्री ओम कृष्ण यादव और राज्य के विद्वान अधिवक्ता श्री बड़े लाल बिंद को सुना और अभिलेखों का अवलोकन किया।
3. श्री ओम कृष्ण यादव का वकालतनामा अभिलेख में मौजूद नहीं है, जबकि उनका नाम कार्यवाही सूची में अंकित है।
4. कार्यालय इसे खोजकर अभिलेख में दर्ज करे और आदेश पत्र में इसका उल्लेख करे।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



6. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने पुरजोर तर्क दिया कि मानवाधिकार संरक्षण आयोग/विशेष न्यायाधीश, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या 1, इलाहाबाद द्वारा दिनांक 30.08.2025 को पारित आदेश अवैध है, क्योंकि न्यायालय ने उनके आवेदन संख्या 14-ख को अभिलेखों में तो स्वीकार कर लिया है, लेकिन साथ ही उनकी याचिका संख्या 669/2025 को खारिज कर दिया है और मामले को अभिलेखों में दर्ज करने का निर्देश दिया है। निवेदन है कि उक्त आदेश पूर्णतः अवैध, अनुचित और निरस्त किए जाने योग्य है। यह प्रस्तुत किया गया कि यदि याचिकाकर्ता के आवेदन पत्र संख्या 14-ख को संबंधित न्यायालय द्वारा स्वीकार कर लिया गया होता, तो आपराधिक विविध वाद संख्या 669/2025 (कृष्णा बिहारी यादव बनाम राम कुमार पांडे और अन्य) को खारिज करने का आदेश नहीं दिया जा सकता था। यह प्रस्तुत किया गया कि वर्तमान याचिका को स्वीकार किया जाए और उसमें की गई प्रार्थनाओं को स्वीकार किया जाए।

7. विपक्षी पक्ष संख्या 8 के विद्वान अधिवक्ता ने इस मामले में प्रारंभिक आपत्ति उठाते हुए यह तर्क दिया कि जहां तक प्रतिवादी संख्या 8 और 9, अर्थात् भोला यादव और अवधेश कुमार यादव का संबंध है, उन्हें याचिकाकर्ता द्वारा संबंधित न्यायालय में दायर मूल आवेदन में प्रतिवादी के रूप में शामिल नहीं किया गया है और इसलिए उन्हें वर्तमान याचिका में प्रतिवादी



के रूप में शामिल नहीं किया जा सकता था। यह निवेदन किया गया है कि उक्त कृत्य पूर्णतः दुर्भावनापूर्ण है और याचिका को इसी आधार पर खारिज कर दिया जाना चाहिए। आगे उन्होंने यह भी कहा कि वर्तमान रिट याचिका में महत्वपूर्ण जानकारी छिपाई गई है और गलत बयान दिए गए हैं, क्योंकि पैरा संख्या 1 में याचिकाकर्ता का कहना है कि यह याचिका उसमें दावा की गई राहत के लिए पहली याचिका है, जबकि दिनांक 30.08.2025 के आदेश के बाद उन्होंने मानवाधिकार अधिनियम, 1993 की धारा 12 और 13 के तहत मानवाधिकार संरक्षण न्यायालय/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या 1, प्रयागराज में याचिका संख्या 938/2025 (कृष्ण बिहारी यादव बनाम राम कुमार पांडे और अन्य) दायर की थी, जिसे दिनांक 05.11.2025 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था। आदेश की प्रति न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है और उसे रिकॉर्ड में ले लिया गया है। यह प्रस्तुत किया गया कि उक्त तथ्य का खुलासा नहीं किया गया है, जो प्रासंगिक और महत्वपूर्ण था और जिसका उल्लेख वर्तमान याचिका में किया जाना चाहिए था। यह प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ता ने मानवाधिकार आयोग, लखनऊ में भी आवेदन दिया है और उसमें कार्यवाही चल रही है, जिसमें पुलिस अधिकारियों से भी जवाब मांगे गए हैं और याचिका/शिकायत लंबित है, और इस तथ्य का खुलासा वर्तमान रिट याचिका में भी नहीं किया गया है। यह निवेदन किया जाता है कि इस प्रकार प्रासंगिक तथ्यों को जानबूझकर छिपाया गया है और इस याचिका को भारी जुर्माने के साथ खारिज कर दिया जाए।

8. राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने भी याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता की याचिका और दलीलों का विरोध किया और प्रस्तुत किया कि जहां तक चुनौती दिए गए आदेश का संबंध है, वह याचिकाकर्ता/शिकायतकर्ता कृष्ण बिहारी यादव द्वारा संबंधित न्यायालय में दिनांक 29.08.2025 को दायर एक आवेदन पर पारित किया गया था, जिसमें उल्लेख किया गया था कि अनजाने में शिकायत गलत न्यायालय में दायर की गई है जबकि इसे जिला एवं सत्र न्यायाधीश, इलाहाबाद के समक्ष दायर किया जाना चाहिए था और इसलिए उन्होंने प्रार्थना की थी कि उन्हें उचित न्यायालय में एक नई याचिका दायर करने की अनुमति दी जाए और उनके द्वारा दायर याचिका को वापस लेने का निर्देश दिया जाए। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उक्त आवेदन संबंधित न्यायालय के समक्ष पत्र संख्या 14-ख के रूप में प्रस्तुत किया गया था और

दिनांक 29.08.2025 के आदेश द्वारा उक्त आवेदन को विशिष्ट आदेश द्वारा स्वीकार कर लिया

*अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।*

गया था तथा संबंधित न्यायालय के समक्ष याचिका संख्या 669/2025 के रूप में दायर याचिका को खारिज कर दिया गया अतः इसका स्वाभाविक परिणाम यह है कि याचिका उचित न्यायालय के समक्ष दायर करने की स्वतंत्रता की प्रार्थना करते हुए वापस ले ली गई, जिसे स्वीकार कर लिया गया, और इस न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ता को उपयुक्त न्यायालय में याचिका दायर करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई। यह प्रस्तुत किया जाता है कि अभिलेखों में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे यह पता चले कि याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका दायर करने के लिए संबंधित न्यायालय से संपर्क किया था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि चुनौती दिए गए आदेश में कोई अवैधता या अनियमितता नहीं है और उक्त आदेश स्वयं याचिकाकर्ता के आवेदन संख्या 14-ख पर पारित किया गया है, जो उक्त प्रार्थना के लिए था जिसे पूर्णतः स्वीकार कर लिया गया था। आगे यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान याचिका को दायर करना न्यायालय की प्रक्रिया का स्पष्ट दुरुपयोग है और इसे लागत सहित खारिज कर दिया जाए।

9. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्क सुनने और अभिलेखों का अवलोकन करने के बाद यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता ने मानवाधिकार आयोग/विशेष न्यायाधीश, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या 1, प्रयागराज के समक्ष याचिका संख्या 669/2025 (कृष्णा बिहारी यादव बनाम राम कुमार पांडे और अन्य) मानवाधिकार अधिनियम, 1993 की धारा 12 और 13 के अंतर्गत शिकायत दर्ज कराई थी, यह मामला उक्त न्यायालय में लंबित था, जिसके बाद याचिकाकर्ता ने दिनांक 29.08.2025 को संबंधित न्यायालय में पत्र संख्या 14-ख के अंतर्गत एक आवेदन दायर किया, जिसमें उल्लेख किया गया था कि अनजाने में यह मामला उक्त न्यायालय में दायर किया गया है, जबकि इसे जिला एवं सत्र न्यायाधीश, इलाहाबाद के न्यायालय में दायर किया जाना था अतः यह प्रार्थना की गई थी कि याचिकाकर्ता को उचित न्यायालय में नई याचिका दायर करने की अनुमति दी जाए और उसकी याचिका को वापस लौटाने का निर्देश दिया जाए तथा उचित आदेश पारित किए जाएं। उक्त आवेदन पर, संबंधित न्यायालय ने दिनांक 30.08.2025 के आदेश द्वारा याचिकाकर्ता के आवेदन पत्र संख्या 14-ख को स्वीकार कर लिया और याचिका संख्या 669/2025 को खारिज कर दिया। उक्त आदेश मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के संदर्भ में याचिकाकर्ता द्वारा स्वयं की गई प्रार्थना के अनुसार एक विशिष्ट आदेश है। इसमें कोई अवैधता या अनियमितता नहीं है, क्योंकि याचिकाकर्ता ने अभिलेख पर उपलब्ध अपने आवेदन संख्या 14-ख के अनुसार अपनी याचिका वापस लेने तथा अपने अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



विवेक के अनुसार उपयुक्त न्यायालय का रुख करने की प्रार्थना की थी। उक्त आवेदन स्वीकार कर लिया गया और उसकी शिकायत खारिज कर दी गई।

10. इस न्यायालय को दिनांक 30.08.2025 के आदेश में कोई स्पष्ट अवैधता या अनियमितता नहीं मिलती है। यह आदेश याचिकाकर्ता द्वारा स्वयं संबंधित न्यायालय में दायर आवेदन पर पारित किया गया है और उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली गई है।

11. अब वर्तमान रिट याचिका में प्रासंगिक और महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाने के संबंध में, रिकॉर्ड से पता चलता है कि प्रतिवादी संख्या 8 और 9 क्रमशः भोला यादव और अवधेश यादव याचिकाकर्ता द्वारा संबंधित न्यायालय में दिनांक 07.06.2025 को दायर मूल आवेदन में प्रतिवादी नहीं हैं, जिसकी प्रमाणित प्रति पेपर बुक के पृष्ठ 16 पर उपलब्ध है। यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि नए व्यक्तियों को इस याचिका में प्रतिवादी क्यों बनाया गया है। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता भी न्यायालय को यह समझाने में असमर्थ रहे कि जिन नए व्यक्तियों को शुरू में शिकायत में प्रतिवादी नहीं बनाया गया था, उन्हें इस याचिका में प्रतिवादी क्यों बनाया गया है। यह तथ्य रहस्य बना हुआ है।

12. इसके अतिरिक्त, यह तथ्य कि निचली अदालत द्वारा दिनांक 30.08.2025 को पारित विवादित आदेश के बाद, याचिकाकर्ता ने मानवाधिकार अधिनियम, 1993 की धारा 12 और 13 के तहत मानवाधिकार संरक्षण आयोग/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या 1, प्रयागराज के समक्ष याचिका संख्या 938/2025 (कृष्ण बिहारी यादव बनाम राम कुमार पांडे और अन्य) के रूप में पुनः याचिका दायर की थी और जिसे दिनांक 05.11.2025 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था, वर्तमान याचिका में न तो उल्लेखित है और न ही इसका खुलासा किया गया है। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता इस न्यायालय के समक्ष उसी कारण से संबंधित न्यायालय में बाद में दायर की गई याचिका का खुलासा न करने का औचित्य भी नहीं बता सके।

13. वाद-पत्रों तथा प्रासंगिक और महत्वपूर्ण तथ्यों के प्रकटीकरण के संबंध में विधि स्थापित है, जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एस.पी. चेंगलवराया नायडू बनाम जगन्नाथः (1994) 1 एससीसी 1; भास्कर लक्ष्मण जाधव बनाम कर्मवीर वाघ एजुकेशन सोसाइटी और

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अन्य : (2013) 11 एससीसी 531; मोती लाल सोंगारा बनाम प्रेम प्रकाश उर्फ पप्पू : (2013) 9 एससीसी 199 ; निधि कैम बनाम मध्य प्रदेश राज्य : (2017) 4 एससीसी 1 ; कुशा दुरुका बनाम ओडिशा राज्य: (2024) 4 एससीसी 432 ; विष्णु वर्धन उर्फ विष्णु प्रधान बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य : 2025 आईएनएससी 884 के वादों में प्रतिपादित किया गया है किया गया है कि किसी भी विशिष्ट अर्थ में यह आवश्यक नहीं है कि वादी न्यायालय में निष्पक्ष इरादे से आए और मामले के सभी तथ्यों का खुलासा करे। यह भी स्पष्ट किया गया है कि यह उसका अधिकार नहीं है कि वह किस तथ्य का खुलासा करे और किसका नहीं। यह माना जाता है कि उसे मामले से संबंधित प्रत्येक तथ्य न्यायालय के समक्ष प्रकट करना होगा और न्यायालय पर निर्णय छोड़ना होगा। वह न्यायालय के समक्ष क्या प्रकट करना है और क्या नहीं, यह तय नहीं कर सकता। इसके अलावा, प्रकटीकरण के संबंध में, जैसा कि कानून में स्थापित है, किसी तथ्य का संक्षिप्त उल्लेख भी तथ्य का प्रकटीकरण नहीं माना जाता है और यह पूर्ण और विस्तृत होना चाहिए।

14. वर्तमान मामले में, प्रासंगिक तथ्य और सामग्री को छिपाया गया है। संबंधित न्यायालय द्वारा दिनांक 05.11.2025 को पारित आदेश और फिर आवेदक द्वारा उसी कारण से दूसरी याचिका दायर करने का उल्लेख वर्तमान याचिका में नहीं किया गया है। यहां तक कि वर्तमान याचिका में उन नए पक्षों जो संबंधित न्यायालय के समक्ष मूल याचिका में प्रतिवादी नहीं थे को भी बिना किसी उचित कारण के शामिल करना एक नया मामला है ।

15. यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि वर्तमान याचिका दायर करना न्यायालय की प्रक्रिया का स्पष्ट दुरुपयोग है और यह प्रासंगिक तथ्यों को जानबूझकर छिपाने का परिणाम है। गुण-दोष के आधार पर, चुनौती दिए गए आदेश में कोई अवैधता या अनियमितता नहीं है। अतः वर्तमान याचिका ₹20,000/- की उदाहरणीय लागत के साथ खारिज की जाती है, जो याचिकाकर्ता पर अधिरोपित की जाती है, जिसे इस न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल के समक्ष तीन सप्ताह की अवधि के भीतर जमा किया जाना होगा। उक्त राशि जमा होने पर, इसे उच्च न्यायालय विधि सेवा समिति के खाते में उपयोग के लिए स्थानांतरित कर दिया जाएगा। यदि उक्त राशि जमा नहीं की जाती है, तो रजिस्ट्रार जनरल प्रयागराज के जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



को याचिकाकर्ता से भू-राजस्व के रूप में उक्त राशि की वसूली के लिए पत्र जारी करेंगे, जो इसे वसूल करेंगे और उपर्युक्त उपयोग के लिए इस न्यायालय के महानिबंधक को भेज देंगे।

(न्यायमूर्ति समित गोपाल)

7 जनवरी, 2026

एम. आरिफ

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।